न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

[illegible]रण संख्या
[illegible]74/2025

दायर दिनांक
11.07.2025

निर्णय दिनांक
07-10-2025

उनवान

श्री रामलाल पुत्र श्री देवी लाल जाट निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)

—प्रार्थी

बनाम

1. जमना लाल पुत्र श्री देवी लाल जाट निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. हीरा पुत्र श्री रामा बलाई निवासी– पोण्डरास तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. शान्ति पुत्री श्री रामा बलाई निवासी– पोण्डरास तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. सोहन पुत्र श्री रामा बलाई निवासी– पोण्डरास तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. हजारी पुत्र श्री होकमा जाट निवासी– पोण्डरास तहसील एव जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. शान्ति पत्नी श्री रामप्रसाद भांभी निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा (राज०)।

—— विपक्षीगण

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता प्रार्थी श्री कैलाश जलानिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पोण्डरास पटवार हल्का रूपाहेली भू –अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 681/345 रकबा 0.4426 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मेने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है ग्राम पोण्डरास पटवार हल्का रूपाहेली भू –अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दांथल तहसील व ला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 681/345, रकबा 0.4426 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। रगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश केसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की र सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क ई विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार डा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में ई जावे। निर्णय आज दिनांक 07-10-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा